

पत्रांक-10/स्थापना व्यय आ0-22/2024-25

100/37 रा0,

(47)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

विषय:-

रॉंची, दिनांक-25-11-2024
स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-094-अन्य
स्थापनाएँ, उपशीर्ष-05-प्रक्रियापालक स्थापना के अंतर्गत वित्तीय
वर्ष 2024-25 में वेतन इकाई में कुल ₹26,60,000/- (छब्बीस
लाख साठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-533/स्था0, दिनांक-24.10.2024 से प्राप्त अध्याचना के
आलोक में वेतन इकाई में कुल ₹26,60,000/- (छब्बीस लाख साठ हजार रुपये) मात्र
की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड
SKLDAD 023 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट,
दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में
वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर
निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित)
के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा
नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की
निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय
अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

Shu.

कृ०पृ०उ०

46

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shu.
19/11
(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

100/3111 राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला

25-11-2024

कोषागार पदाधिकारी,

सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shu.
19/11/2024
सरकार के सचिव।